:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार न्योल आर.ए.एस.
मूकदमा नम्बरः– 5/17

1. श्री हलिया पिता धीरा गुदा मीणा मृतक के वारिसान
1/1 श्रीमति पुनी पुत्री हलिया पत्नि काउडा अहारी मीणा उम्र 55 साल निवासी ढूंढी तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राज.
1/2 श्रीमति दुबली पुत्री हलिया पत्नि धुला रोत मीणा उम्र 52 साल निवासी डूंगरसारण नई बस्ती तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राज.
1/3 श्रीमति मणी पुत्री हलिया पत्नि वरसेंग डामोर उम्र 48 साल निवासी रामसोर तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राज.
1/4 श्रीमति इटली पुत्री हलिया पत्नि हरदार डामोर मीणा निवासी राठडी तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राज.
1/5 श्रीमति कनी पुत्री हलिया पत्नि हाजा डामोर मीणा निवासी केसरपुरा चिखली तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राज.
5/1 श्री सतुरा पिता हाजा डामोर मीणा
5/2 श्री हाजा डामोर मीणा
5/3 श्री शंकर पिता हाजा डामोर मीणा
5/4 श्रीमति रमीला पुत्री हाजा डामोर मीणा
5/5 श्री हाजा का छोटा पुत्र निवासीयांन केसरपुरा चिखली तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।

वादीगण

बनाम

1. श्री रूपा पिता धीरा गुदा मीणा उम्र 80 साल निवासी गुन्दलारा मृतक के कायम मुकाम
1/1 श्री शंकर पिता रूपा गुदा मीणा
1/2 श्री कमजी पिता रूपा गुदा मीणा
1/3 श्री लछमण पिता रूपा गुदा मीणा
1/4 श्रीमति केसर पुत्री रूपा गुदा मीणा
1/5 श्रीमति केसर पुत्री रूपा गुदा मीणा
1/6 श्रीमति करम पुत्री रूपा गुदा मीणा निवासीयान गुन्दलारा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राज.।
2. श्री रामचन्द्र पिता धीरा गुदा मीणा मृतक के वारिसान
1. श्री मोगजी उर्फ मोगा पिता रामचन्द्र मृतक के वारिसान
1/1 श्री धना पिता मोगजी गुदा मीणा उम्र 50 साल
1/2 श्री ताजु पिता मोगजी गुदा मीणा उम्र 47 साल
1/3 श्री वागला पिता मोगजी गुदा मीणा उम्र 40 साल
1/4 श्री गटू पिता मोगजी गुदा मीणा उम्र 44 साल
1/5 श्री अरजन पिता मोगजी गुदा मीणा उम्र 30 साल निवासीयान गुन्दलारा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राज.
2. श्री जगजी पिता रामचन्द्र मृतक के वारिसान
2/1 श्री भगवान पिता जगजी गुदा मीणा निवासी गुन्दलारा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राज.।
3. श्री हकसी उर्फ गौतमा पिता रामसन गुदा मीणा निवासी गुन्दलारा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राज.।
4. श्री रंगा पिता रामसन गुदा मीणा उम्र 75 साल निवासी गुन्दलारा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राज.।
4/1 श्री भूरा पिता रंगा गुदा मीणा
4/2 श्री देवा पिता रंगा गुदा मीणा
4/3 श्री वाला पिता रंगा गूदा मीणा
4/4 श्रीमति अखमणी पत्नि रंगा मीणा
4/5 श्रीमति मीरा पुत्री रंगा गुदा मीणा
4/6 श्रीमति पार्वती पुत्री रंगा गुदा मीणा निवासीयान गुन्दलारा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राज.।?

5. श्री हलिया पिता धीरा गुदा मीणा निवासी ढूंढी मृतक के कायम मुकाम 5/1 श्रीमति शान्ता पुत्री हलिया पत्नि अखमणा डामोर मीणा उम्र 45 साली निवासी धनहेर (कुंआ) तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राज.।
6. लेण्ड होल्डर तहसीलदार चिखली तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राज.।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत जारी किये जाने स्थाई निषेधाज्ञा दवामी, दिलाए जाने कब्जा एवं इन्द्राज दुरूस्ती के जरिये खातेदारी अधिकार दिलाए जाने एवं बटवारा कराया जाकर खाते अलग अलग कायम कराए जाने हस्ब दफा 188/88/183/91/53 रा.टी.एक्ट. एवं 136 ले.रे. एक्ट

उपस्थित – वादीगण की ओर से – बालगोविन्द पाटीदार एडवोकेट

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीया नं 5 के पिता हलिया के दो भाई रूपा एवं रामसन पिसरान धीरा थे जिसमें रूपा प्रतिवादी नं1 एवं रामसन फोत होने से प्रतिवादी न 2 से 4 है।

वादीगण द्वारा वाद पेश कर मांग की गई है कि वादीगण के पिता श्री हलिया के शिरकती खाते की आराजी मोजा गुन्दलारा में संवत् 2002 से 2011 के खात न 57 के खातेदार रावजी पिता चमना ही. 1/2 वो रामचन्द्र वो लिया वो रूपा पिता धीरा ही0 1/2 की होकर कुल आराजीयात 22 रकबा 36 बीघा 5 बिस्वा स्थित है। जिस में वादीगण के पिता के फोत हो जाने पर हाल सेटलमेन्टी खाता संवत् 2059 से 62 के खाता न 97 नया व पुराना 94 के जो कि फर्द तुलनात्मक से संवत 2002 के खाते से कायम हुए है। कुल खसरा 22 रकबा 15–18 पन्द्रह बीघा अठारह बिस्वा जिसमें प्रतिवादी रूपा पिता धीरा 1/2 धना, लालु, वागला, गटु, अर्जन पिता मोगा 1/6 हि0ब0 भगवान पिता जगजी 1/6, हकसी पिता रामसन 1/6 हि0ब0 देह खातेदार अंकित हो गया जिसमें वादीगण के पिता का 1/3 हिस्सा होते हुए खाते में नाम अंकित होने से रह जाने से वादीगण के नाम से नामान्तकरण नहीं खोला जा सका है। इसलिए वादीगण के पिता का सेटलमेन्टी संवत 2002 से खाते में हिस्सा बराबर में नाम चला आ रहा होने से वादीगण का प्रतिवादी न 1 का 1/3, प्रतिवादी न 2 के वारिसान का 1/3 व वादीगण का 1/3 हिस्सा कायम किया जाकर खातेदारी अधिकार दिलाए जावे एवं प्रतिवादीगण का गलत इन्द्राज रेवेन्यु रिकार्ड से हटाया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती के जरीये वादीगण का नाम सह खातेदारी में अंकित किया जाना फरमावे।

इसी प्रकार मौजा ढूढी में स्थित वादीगण के पिता हलिया पिता धीरा के स्वतंत्र खाते कब्जे काश्त की आराजीयात संवत 2035 से 38 के खाता संख्या 63 नया व पुराना 60/34 की कुल आराजीयात 11 रकबा 23–3 तेबीस बीघा तीन बिस्वा स्थित होकर प्रतिवादी न 4 द्वारा वादीगण के जीवित होते हुए विरासती खाते की आराजीयात का अंकन रेवेन्यु रिकार्ड में अपने नाम से करवा लिया होने से वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी रंगा पिता हलिया जो कि हलिया का पुत्र नहीं है का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण के खाते अंकित किया जाना फरमावें एवं प्रतिवादीगण द्वारा मौजा गुंदलारा के हिस्से की आराजी एवं मौजा ढूंढी की आराजी पर अतिक्रमण कर लेकर वादीगण को काश्त करने नहीं दिये जाने से प्रतिवादीगण को बे दखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सुपूर्द किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाना फरमावें कि प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से एवं कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत नहीं करे और न ही वादीगण के चले आ रहे स्वामित्वाधिकार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप कर अवरोध पैदा करें।

वादीगण की ओर से वाद प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादीगण उपस्थित होकर सभी बिन्दुओं पर जवाब प्रस्तुत कर वादीगण के दावे को अस्वीकार कर वाद को खारिज करने का निवेदन किया।

वाद– प्रतिवादी के कम में निम्न तनकीयात कायम की गई–

1) आया वादीगण के पिता हलिया पिता धीरा के खातेदारी की भूमि ग्राम ढूंढी में स्थित है उसे प्रतिवादी संख्या 4 रंगा पिता रामसन ने अपने पिता का नाम रामसन होने के बावजुद पिता का नाम हलिया अंकित करा हलिया पिता धीरा की भूमि मौजा गुन्दलारा की अपने नाम दर्ज करवा दी जिसे वादीगण वादपत्र की कॉलम संख्या 3 में अंकित मौजा गुन्दलारा की आराजी तथा वादपत्र की कॉलम संख्या 4 में अंकित मौजा ढूंढी की आराजीयात में वादीगण अपना नाम दर्ज करवाने की अधिकारिणी है तथा प्रतिवादी संख्या 4 का नाम हटवा कर अन्य प्रतिवादी संख्या

1,2,3 के साथ हलिया पिता धीरा के 1/3 हिस्से की भूमि की खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारिणी है तथा खाते में नाम दर्ज हो जाने पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 भूमि का बटवारा कराने के अधिकारी है?

2) आया वादीगण वादपत्र की कॉलम संख्या 3 व 4 में अंकित आराजीयात बाबत वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारिणी है? जिम्मे वादीगण

3) आया प्रतिवादी संख्या 4 रंगा पिता रामसन वादीगण के पिता हलिया पिता धीरा का गोदपुत्र है और इस वजह से सेटलमेन्ट कर्मियों ने हलिया का वारीस मान रंगा के खाते भूमि दर्ज की है। जिम्में प्रतिवादीगण

4) आया खातेदार हलिया पिता धीरा ने प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में दिनांक 11.01.1982 को वसीयतनामा संपादित कर रजिस्टर्ड कराया है। इसका वादीगण पर क्या प्रभाव है ?

5) दादरसी क्या होगी ? जिम्मे प्रतिवादीगण

1. वादीगण की ओर से अपने वाद के समर्थन में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पीडब्ल्यू 1 श्रीमति पूनी, पीडब्ल्यू 2 श्रीमति ईटली, पीडब्ल्यू 3 नानीया, पीडब्ल्यू 4 रूपा पिता धीरा, पीडब्ल्यू 5 मोतिया पिता रावजी, के शपथ पत्र बयान लिपिबद्ध करवाये जाकर राजस्व रिकार्ड प्रदर्श 01 खतोनी संवत् 2002–2011 मौजा गुन्दलारा की, प्रदर्श 02 खतोनी खाता नं. 57 संवत् 2002–2011 मौजा गुन्दलारा की, फर्द तुलनात्मक मौजा गुन्दलारा प्रदर्श 04, मौजा ढूण्ढी की खतोनी प्रदर्श 03 एवं फर्द तुलनात्मक मौजा ढूण्ढी प्रदर्श 4 ए , मौजा गुन्दलारा का सेटलमेंटी खाता 96 संवत् 2022, मौजा ढूण्ढी का सेटलमेंटी खाता संवत् 2035–2038 प्रदर्श 06, हाला खाता संवत् 2059–2062 की जमाबंदी मौजा गुन्दलारा खाता नं. नया 97 पुराना 94 प्रदर्श 07 एवं हाला खतोनी मौजा ढूण्ढी संवत् 2060–2063 खाता नं. 62 की प्रदर्श 08 प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवायी गयी है।
2. दिनांक 16.04.2007 को वादी की ओर से साक्ष्य समाप्त की जाकर वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी में पत्रावली नियत की गई।
3. साक्ष्य प्रतिवादी हेतु प्रतिवादीगण को 20 अवसर न्यायालय द्वारा प्रदान किये गये लेकिन प्रवितादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जाने से दिनांक 21.10.2010 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर वास्ते बहस मे पत्रावली नियत की गई।
4. दौराने वाद प्रतिवादी न. 1 श्री रूपा पिता धीरा गुदा मीणा का एवं प्रतिवादी नं. 4 रंगा पिता रामसन गुदा मीणा का दिनांक 21.10.2010 को स्वर्गवास हो जाने से एवं वादीया 1/5 श्रीमति कनी पुत्री हलिया पत्नी हाजा निवासी केसरपुरा का स्वर्गवास होजाने से उनके कायम मूकाम बनाये जाने हस्ब दफा 22 रूल 3 एवं 4 जा0दी0 कि ओर से 28.10.2010 को आवेदन वकील वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल वकील प्रतिवादीगण को दिलाई गयी । जिनके द्वारा आवेदन स्वीकार किये जाने पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नही होना जाहीर किये जाने से मृतक के कायर मूकाम रिकार्ड पर लिये जाने आदेश पारित किया जाकर वास्ते मृतक के वारिसानों की ओर से जवाब एवं साक्ष्य प्रतिवादी में पत्रावली को पुनः नियत कि गई। मृतक के वारिसान की तामिल लोट कर आने पर भी कोई उपस्थित नही हुआ होने से प्रतिवादी नं0 1 रूपा , प्रतिवादी नं0 4 रंगा, के वारिसान के विरूद्ध दिनांक 24.02.2011 को एक पक्षीय आदेश पारित किया गया।
5. पत्रावली पुनः जवाब एवं साक्ष्य प्रतिवादी में नियत होने से प्रतिवादीगण नं0 1 व 4 के वारिसान उपस्थित नही होने से साक्ष्य प्रस्तुत नही होने से दिनांक 17.03.2011 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर वास्ते बहस में पत्रावली नियत की गई।
6. दिनांक 29.11.2011 को वकुलाय फरिकेन की बहस समायत की गई।
7. बहस के दौरान वकील वादी द्वारा प्रकट किया गया कि मौजा गुन्दलारा में वादीगण के पिता एवं प्रतिवादीगण नं. 1 से 4 के सहखातेदारी की भूमि हिस्सा बराबर की राजस्व रिकार्ड में स्थित है। लेकिन नामांतकरण खोले जाने के समय वादीगण का नाम उनके पिता के स्थान पर नही अंकित किया जाकर प्रतिवादी नं. 1 से 4 के नाम से खाता कायम कर दिये जाने से वादीगण अपना 1/3 हिस्सा सहखातेदार के रूप में अंकित करवाने के अधिकारी है। इसी प्रकार मौजा ढूण्ढी की आराजीयात जो कि वादीगण के पिता के स्वतंत्र खाते की है प्रतिवादी नं. 4 ने अपने को हलिया का पुत्र बताते हुए वादीगण के जीवित रहते हुए अपना नाम अंकन करवा लिया है जिसको विलोपित किया जाकर जरिये इन्द्राज दुरस्ती के वादीगण का नाम अंकित करवाया जाकर खातेदारी अधिकार दिलाया जाना न्याय संगत है एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को बेदखल कर अतिक्रमण कर लिया है। जिन्हे

बेदखल करवाया जाकर वादीगण को कब्जा सूपूर्द करवाया जाना न्याय संगत एवं आवश्यक है। जिसकी ताईद में जबानी साक्ष्य पीडब्ल्यू 01 से 05 एवं राजस्व रिकार्ड दस्तावेज प्रदर्श 01 से 08 प्रदर्शित करवाये है। जिससे वादीगण द्वारा तनकी नं. 1 व 2 को साबित करवाया गया है। इसलिए दावा डिक्री किया जाकर मौजा गुन्दलारा के आराजीयात में प्रतिवादीगण के साथ 1/3 हिस्से की सहखातेदार एवं मौजा ढूण्ढी के खाते मे प्रतिवादी नं0 4 के फोत हो जाने से उसके वारिसों के नाम अंकित हुए हो तो उन्हें विलोपित किया जाकर वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाने डिक्री प्रदान की जावे।

8. वकील प्रतिवादीगण नं 1 से 4 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि प्रतिवादी नं. 4 हलिया का गोद पुत्र है एवं जरिये वसीयत एवं बक्षीस के प्रतिवादी नं. 4 को आराजीयात प्राप्त हुई है जिससे प्रतिवादी खातेदार काश्तकार है इसलिए वादीगण का वाद खारीज फरमाया जावे।

9. उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में बनाये गये विवाद बिन्दुओं पर तनकीवार निर्णय निम्नानुसार पारित किया जाता है।

10. तनकी नं0 1 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर होने से वादीगण द्वारा जबानी साक्ष्य के साथ मौजा गुन्दलारा की खतोनी संवत् 2002–2011 प्रदर्श 01 और 02 एवं फर्द तुलनात्मक प्रदर्श 4 ए प्रस्तुत की है जिसमें वादीगण के पिता का नाम सहखातेदारी में अंकित है इससे स्पष्ट है कि वर्तमान खाते में वादीगण के पिता के फोत होने के पश्चात् प्रतिवादी न0 1 से 4 के साथ वादीगण का नाम हिस्सा बराबर अंकित होना चाहिए था जो नही किया जाकर प्रतिवादी नं0 01 से 04 के नाम से अंकित हो गई है। इस प्रकार वादीगण द्वारा दस्तावेजी एवं जबानी साक्ष्य सें पूर्ण रूप से साबित करवाने में सफल रहे है कि वादीगण मौजा गुन्दलारा की आराजीयात में सहखातेदार काश्तकार है। इसलिए इस तनकी का निर्णय बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के किया जाता है।

11. इसी प्रकार मौजा ढूण्ढी में स्थित खाते की आराजीयात बाबत् राजस्व रिकार्ड प्रदर्श 03 संवत् 2002–2011 की खतेानी प्रस्तुत की गई जिसमें विवादास्पद आराजी होकर फर्द तुलनात्मक प्रदर्श 04 के अनुसार प्रदर्श 06 संवत् 2035–2038 में वादीगण के पिता हलिया पिता धीरा का नाम कुल आराजी 1.1 रकबा 23 बिघा 03 बिस्वा पर अंकित है। जिसका वर्तमान खाता प्रदर्श 08 के अनुसार रंगा पिता हलिया के नाम से अंकित हो गया है। जबकी पारिवारिक सजरा के अनुसार रंगा हलिया का पुत्र न होकर वादीगण एक मात्र पुत्रीया जीवीत है लैकिन रंगा ने अपने आप को हलिया का पुत्र बता कर नामांतकरण संपादीत करवा कर खाता अपने नाम से अंकित करवाया है जो कि त्रुटी पूर्ण होने से रंगा के नाम से खाता विलोपित किया जा कर वादीगण को खातेदारी अधिकार दिलाये जाना उचित समझता हूं। इस प्रकार इस तनकी का निर्णय बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के किया जाता है।

12. तनकी नं. 2 – तनकी नं. 1 के निर्णय बहक वादीगण के पक्ष में होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारी होने से इस तनकी का निर्णय बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के किया जाता है।

13. तनकी नं. 3– इस तनकी को साबित करवाने का भार प्रतिवादीगण पर था, लेकिन प्रतिवादीगण अपनी ओर से किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत नही कि गई और न ही किसी दस्तावेज के जरिये अपने तथ्यों को प्रमाणित करवाया है। इसलिए इस तनकी का निर्णय बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के किया जाता है।

14. तनकी नं. 4– इस तनकी को साबित करवाने का भार प्रतिवादीगण पर था, लेकिन प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार की दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की जाने से प्रतिवादीगण अपने जवाब दावों में लिये उजर को सिद्ध नही करवा पाने से इस तनकी का निर्णय विरूद्ध प्रतिवादी किया जाता हैं ।

15. अनुतोष– इस प्रकार वादीगण अपना वाद सिद्ध करने में सफल रहने से वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर आदेशीत किया गया था कि मौजा गुन्दलारा में स्थित संवत् 2059–2062 के खाता नं. नया 97 व पुराना 94 के खसरा नं. 32/रकबा 0–2, 34/0–18, 35/1–17, 36/0–05, 37/0–02, 39/0–04, 40/0–07, 47/0–09, 51/0–11, 53/0–17, 55/0–11, 56/0–11, 57/0–01, 58/0–01, 59/0–01, 60/0–19, 62/0–17, 63/0–04, 67/0–12, 159/02–15, 162/1–15, 251/1–19, कुल आराजी 22 रकबा 15–18 में खातेदार रूपा पिता धीरा का 1/2 हिस्सा, धना, लालु, वाग्ला, गटु, अर्जन पिता मोगा 1/6, हि0ब0 , भगवान पिता जगजी 1/6, हक्सी पिता

रामसन 1/6, हि0ब0, को राजस्व रिकार्ड में विलोपित किया जा कर रूपा का 1/3 रामसन के वारिसान का 1/3 व वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं0 5 का 1/3 हिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाकर खातेदार काश्तकार अंकित किया जावे।

मोजा ढूण्ढी के खतोनी संवत् 2060–2063 के खाता संख्या 62 के खसरा नं. 336 रकबा 02–08, 337/01–18, 340/0–18, 341/0–18, 342/0–12, 344/2–09, 345/0–03, 346/09–03, 352/01–12, 353/0–19, 357/2–03, कुल आराजीयात 11 रकबा 23–03 में प्रतिवादी नं. 4 व उसके वारिसों के नाम हटाये जाकर वादीगण प्रतिवादीया नं. 5 के खते रेवेन्यु रिकार्ड में अंकित किया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 5 के हिस्से में आई आराजीयात मोजा गुन्दलारा में एवं मोजा ढूण्ढी की आराज़ीयात पर प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण किया हुआ हो तो उन्हे बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सूपूर्द किया जाने तहसीलदार सीमलवाड़ा को आदेशीत किया जाने ओदश पारीत किया जाता है।

प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी कि जाती है कि प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से एवं स्वामित्वाधिकार की भूमि पर किसी प्रकार से अतिक्रमण नही करे, वादीगण को काश्त करने में किसी प्रकार का व्यवधान अवरोध पेदा नही करे, न ही ऐसा कृत्य करे जिससे वादीगण स्वामित्वाधिकारों को किसी प्रकार की क्षति पहूंचे, ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य ठेकेदार, मजदूर, आदि से करावे।

उक्त निर्णय दिनांक 08.12.2011 को पारीत कर डिक्री जारी की गई थी।

16. पत्रावली माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर से प्राप्त हुई। आरएए के निर्णयानुसार इस न्यायालय के निर्णय से रूष्ठ होकर अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अपील दिनांक 23.03.2012 को आरएए में प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इस न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08.12.2011 को अपास्त किया गया तथा पत्रावली इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की कि उभय पक्ष को पुनः सुनवाई का अवसर देकर इस प्रकरण में अजसरेनव निर्णय पारित करे।

17. माननीय आरएए न्यायालय के अनुसार पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई प्रतिवादी की तरफ से श्री भगवान गुर्जर वकालतनाम पेश हुआ, पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। दिनांक 05.09.2019 को पत्रावली में निम्नानुसार साक्ष्य वादी पेश किये गये।

पीडब्ल्यू 1, – श्री मोतिया पिता रावजी गुदा

पीडब्ल्यू 2– श्री भेमा पिता अरजन मईडा

पीडब्ल्यू 3– श्रीमति ईटली पुत्री हलिया पत्नि हरदार डामोर

प्रदर्श 01 खतोनी संवत् 2002–2011 मौजा गुन्दलारा की, प्रदर्श 02 खतोनी खाता नं. 57 संवत् 2002–2011 मौजा गुन्दलारा की, फर्द तुलनात्मक मौजा गुन्दलारा प्रदर्श 04, मौजा ढूण्ढी की खतोनी प्रदर्श 03 एवं फर्द तुलनात्मक मौजा ढूण्ढी प्रदर्श 4 ए , मौजा गुन्दलारा का सेटलमेंटी खाता 96 संवत् 2022 प्रदर्श 5, मौजा ढूण्ढी का सेटलमेंटी खाता संवत् 2035–2038 प्रदर्श 06, हाला खाता संवत् 2059–2062 की जमाबंदी मौजा गुन्दलारा खाता नं. नया 97 पुराना 94 प्रदर्श 07 एवं हाला खतोनी मौजा ढूण्ढी संवत् 2060–2063 खाता नं. 62 की प्रदर्श 08 पूर्व से ही शामिल पत्रावली है।

दिनांक 04.03.2022 को प्रतिवादीगण को बार–बार आवाज देने पर भी कोई उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली वास्ते अंतिम बहस नियत की गई।

18. दिनांक 08.04.2022 पत्रावली में वकिल वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते निर्णय नियत की गई। दिनांक 15.07.2022 को एडवोकेट भगवान गुर्जर ने बकालतनामा पेश कर प्रार्थना पत्र अंतर्गत ऑर्डर 09 नियम 7 पेश किया । पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना प. 09/7 नियत की गई। दिनांक 29.09.2023 को वकील वादी द्वारा प्रार्थना प. 09/07 का जवाब नही देकर सीधे बहस करना चाहा । बहस उभय पक्ष सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश 09/7 में नियत की गई। पत्रावली दिनांक 14.06.2024 को प्रार्थना पत्र 09/07 स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध की गई एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया गया। पत्रावली वास्ते जिरह साक्ष्य वादी में नियत कि गई। दिनांक 09.07.2024 को वकील प्रतिवादी ने उपस्थित होकर हीदायत पैरवी नही करना चाहां अतः जिरह साक्ष्य वादी बंद की गई। पत्रावली एक पक्षीय बहस में नियत कि गई। 26.07.2024 को वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

बहस के दौरान वकील वादी द्वारा प्रकट किया गया कि मौजा गुन्दलारा में वादीगण के पिता एवं प्रतिवादीगण नं. 1 से 4 के सहखातेदारी की भूमि हिस्सा बराबर की राजस्व रिकार्ड में स्थित है। लेकिन नामांतकरण खोले जाने के समय वादीगण का नाम उनके पिता के स्थान पर नही अंकित किया जाकर प्रतिवादी नं. 1 से 4 के नाम से खाता कायम कर दिये जाने से वादीगण अपना 1/3 हिस्सा सहखातेदार के रूप में अंकित करवाने के अधिकारी है। इसी प्रकार मौजा ढूण्ढी की आराजीयात जो कि वादीगण के पिता के स्वतंत्र खाते की है प्रतिवादी नं. 4 ने अपने को हलिया का पुत्र बताते हुए वादीगण के जीवित रहते हुए अपना नाम अंकन करवा लिया है जिसको विलोपित किया जाकर जरिये इन्द्राज दुरस्ती के वादीगण का नाम अंकित करवाया जाकर खातेदारी अधिकार दिलाया जाना न्याय संगत है एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को बेदखल कर अतिक्रमण कर लिया है। जिन्हे बेदखल करवाया जाकर वादीगण को कब्जा सूपूर्द करवाया जाना न्याय संगत एवं आवश्यक है। जिसकी ताईद में जबानी साक्ष्य पीडब्ल्यू 01 से 05 एवं राजस्व रिकार्ड दस्तावेज प्रदर्श 01 से 08 प्रदर्शित करवाये है। जिससे वादीगण द्वारा तनकी नं. 1 व 2 को साबित करवाया गया है। इसलिए दावा डिक्री किया जाकर मौजा गुन्दलारा के आराजीयात में प्रतिवादीगण के साथ 1/3 हिस्से की सहखातेदार एवं मौजा ढूण्ढी के खाते मे प्रतिवादी नं0 4 के फोत हो जाने से उसके वारिसों के नाम अंकित हुए हो तो उन्हें विलोपित किया जाकर वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाने डिक्री प्रदान की जावे।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनने के बाद पत्रावली का अवलोकन किया गया। आरएए से पत्रावली लोटने के बाद प्रतिवादीगण को कई अवसर दीये गये बावजुद प्रतिवादीगण द्वारा अपने पक्ष में कोई भी लिखित या मौखिक साक्ष्य/ दस्तावेज पेश नही किया गया। अतः पत्रावली में शामिल दस्तावेज व साक्ष्य के आधार पर मै वादी के पक्ष व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णय करना उचित समझता हूँ।

आदेश

वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर आदेशीत किया जाता है कि मौजा गुन्दलारा में स्थित संवत् 2059–2062 के खाता नं. नया 97 व पुराना 94 के खसरा नं. 32/रकबा 0–2, 34/0–18, 35/1–17, 36/0–05, 37/0–02, 39/0–04, 40/0–07, 47/0–09, 51/0–11, 53/0–17, 55/0–11, 56/0–11, 57/0–01, 58/0–01, 59/0–01, 60/0–19, 62/0–17, 63/0–04, 67/0–12, 159/02–15, 162/1–15, 251/1–19, कुल आराजी 22 रकबा 15–18 में खातेदार रूपा पिता धीरा का 1/2 हिस्सा, धना, लालु, वाग्ला, गटु, अर्जन पिता मोगा 1/6, हि0ब0 , भगवान पिता जगजी 1/6, हक्सी पिता रामसन 1/6, हि0ब0, को राजस्व रिकार्ड में विलोपित किया जा कर रूपा का 1/3 रामसन के वारिसान का 1/3 व वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं0 5 का 1/3 हिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाकर खातेदार काश्तकार अंकित किया जावे।

मोजा ढूण्ढी के खतोनी संवत् 2060–2063 के खाता संख्या 62 के खसरा नं. 336 रकबा 02–08, 337/01–18, 340/0–18, 341/0–18, 342/0–12, 344/2–09, 345/0–03, 346/09–03, 352/01–12, 353/0–19, 357/2–03, कुल आराजीयात 11 रकबा 23–03 में प्रतिवादी नं. 4 व उसके वारिसों के नाम हटाये जाकर वादीगण प्रतिवादीया नं. 5 के खते रेवेन्यु रिकार्ड में अंकित किया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 5 के हिस्से में आई आराजीयात मोजा गुन्दलारा में एवं मोजा ढूण्ढी की आराजीयात पर प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण किया हुआ हो तो उन्हे बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सूपूर्द किया जाने तहसीलदार ~~सीमलवाड़ा~~ चीखली को आदेशीत किया जाने ओदश पारीत किया जाता है।

प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी कि जाती है कि प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से एवं स्वामित्वाधिकार की भूमि पर किसी प्रकार से अतिक्रमण नही करे, वादीगण को काश्त करने में किसी प्रकार का व्यवधान अवरोध पेदा नही करे, न ही ऐसा कृत्य करे जिससे वादीगण स्वामित्वाधिकारों को किसी प्रकार की क्षति पहूंचे, ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य ठेकेदार, मजदूर, आदि से करावे।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को सरेईजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली